न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 30/2022

GCMS No-2022/121

प्रार्थीः–

श्री आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली

बनाम

अप्रार्थी :–

1. तुलसीराम प्रजापत पुत्र श्री प्रहलाद चन्द प्रजापत मैसर्स प्रहलाद चन्द मांगीलाल बस स्टेण्ड रोहट जिला पाली
2. मैसर्स प्रहलाद चन्द मांगीलाल बस स्टेण्ड रोहट जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29-11-2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 29.01.2021 को दौराने गश्त मैसर्स प्रहलाद चन्द मांगीलाल बस स्टेण्ड रोहट जिला पाली पर गया जहां पर अप्रार्थी तुलसीराम (मालिक/विक्रेता) उपस्थित मिला जो मूंगफली के तेल में कचौरी तल कर बेच रहा था जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर लगभग 5 लीटर मूंगफली के तेल में कचौरियां तली जा रही थी। कड़ाही में दिख रहे मूंगफली के तेल में मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी, मालिक/विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में 1600 एम.एल. मूंगफली के तेल को वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 150/–रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

मुंगफली के तेल को विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार भागो में बांटकर साफ सुखी व खाली बोतल में बराबर मात्रा में डालकर प्रत्येक बोतल को एयर टाईट बंद कर दिया और प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–1210 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/424/एक्ट/2021/521 दिनांक 15.07.2021 के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया मुंगफली के तेल का नमुना क्रमांक आर–1210 अमानक स्तर का (Sub Standard) पाया गया। विक्रेता तुलसीराम प्रजापत ने Sub Standard स्तर के मूंगफली के तेल का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान से लिया गया तेल का नमूना जो जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नही की गई है। अप्रार्थी एक कम पढा लिखा एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी नही थी। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त कर प्रकरण ड्रोप करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी की दुकान मैसर्स प्रहलाद चन्द मांगीलाल बस स्टेण्ड रोहट जिला पाली से नमुना क्रमांक आर–1210 मूंगफली के तेल का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.01.2021 को अप्रार्थी की दुकान से कचौरी तलने के उपयोग में लिये जा रहे मुंगफली के तेल को क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./424/एक्ट/2021/521 दिनांक 15.07.2021 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1210 को Sub-standard (अमानक स्तर) का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) के मूंगफली के तेल का उपयोग करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली